



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062023-246838
CG-DL-E-27062023-246838

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2669]
No. 2669]

नई दिल्ली, मंगलवार, जून 27, 2023/आषाढ 6, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, JUNE 27, 2023/ASHADHA 6, 1945

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2023

का.आ. 2789(अ).—केंद्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 14 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के परामर्श से, भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1034(अ) तारीख 09 मार्च, 2018 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 3 के उप-पैरा (3) में, "1 जुलाई, 2018 से 30 जून, 2023" जहां भी ये आते हों अंक और शब्द के स्थान पर क्रमशः "1 जुलाई, 2023 से 30 जून, 2026" अंक और शब्द को रखा जाएगा।

[फा. सं. 10/1/2023 -ईसी]

अजय तिवारी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 1034(अ), तारीख 09 मार्च, 2018 द्वारा प्रकाशित की गई थी इसके पश्चात् इसमें अधिसूचना सं. का.आ. 1930(अ), तारीख 09 जून, 2020 द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF POWER**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th June, 2023

S.O. 2789(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Central Government, in consultation with the Bureau of Energy Efficiency, further to amend the notification of the Government of India in the Ministry of Power number S.O. 1034 (E), dated the 9th March, 2018, namely:—

In the said notification, in paragraph 3, in sub-paragraph (3), the figures, letters and words “1st July, 2018 to 30th June, 2023”, wherever they occur, the figures, letters and words “1st July, 2023 to 30th June, 2026” shall respectively be substituted.

[F. No.10/1/2023-EC]

AJAY TEWARI, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii), *vide* notification number S.O. 1034(E), dated the 9th March, 2018, and last amended *vide* notification number S.O. 1930(E), dated the 9th June, 2020.